

प्रपत्र संख्या एसएच-14

नामांकन का निरस्तीकरण या परिवर्तन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 की उप-धारा (3) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 19(9) के अनुसरण में]

कंपनी का नाम :

मैं / हमके पक्ष में मेरे / हमारे द्वारा किए गए नामांकनों (नों)(नामिती का नाम तथा पता) नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों के संबंध में एतद्वारा निरस्त करते हैं।

या

मैं/हम एतद्वाराके स्थान पर नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करते हैं , मेरी/हमारी मृत्यु की स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार निहित होंगे।

(1) प्रतिभूतियों का विवरण (जिसके संबंध में नामांकन को निरस्त/इसमें परिवर्तन किया जा रहा है।)

प्रतिभूतियों की प्रकृति	फोलियो संख्या	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रमाण पत्र संख्या	विशिष्ट संख्या

(2) (क) नए नामिती का विवरण:

- i. नाम:
- ii. जन्म तिथि:
- iii. पिता/माता/पति/पत्नी का नाम:
- iv. राष्ट्रियता:
- v. पता:
- vi. ई-मेल आईडी:

vii. प्रतिभूति धारक के साथ संबंध:

(ख) यदि नए नामिती नाबालिग है--

- i जन्म की तारीख:
- ii वयस्क होने की तिथि
- iii. संरक्षक का नाम:
- iv. संरक्षक का पता:

हस्ताक्षर

प्रतिभूति (यों) का नाम

नाम और पते सहित गवाह